The Hindu Plus Summary : 15.02.2024

मेन्स मास्टर

अनुग्रह को अपमान से बचाना

प्रसंग:

• संसद और विधान सभा सत्रों के दौरान भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के संबोधनों को "प्रथागत," "औपचारिक," और "अनुष्ठानवादी" के रूप में वर्णित किया जाता है, जो देश की राजनीतिक संस्कृति में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि:

• विस्तृत संबोधनों की परंपरा भारत की रीति-रिवाजों, समारोहों और रीति-रिवाजों की संस्कृति में गहराई से निहित है, जो राजनीतिक कार्यवाही में औपचारिकताओं से जुड़े महत्व को रेखांकित करती है।

• राष्ट्रपति और राज्यपाल, भाषणों की सामग्री में सक्रिय रूप से योगदान नहीं देने के बावजूद, उन्हें पढ़ने में औपचारिक भूमिका निभाते हैं, जिससे इन आयोजनों में एक औपचारिक स्पर्श जुड़ जाता है।

वर्तमान संकट:

• भाषण के लेखक (आमतौर पर सरकार) और पाठक (राष्ट्रपति या राज्यपाल) के बीच तनाव उत्पन्न होता है, जिससे इस औपचारिक कर्तव्य के निष्पादन में चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

• विधान सभाओं में राज्यपालों के अभिभाषण पर विवाद बढ़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आरोप-प्रत्यारोप का आदान-प्रदान हो रहा है, जो इस औपचारिक पहलू के सुचारू निष्पादन में व्यवधान का संकेत देता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• विधायी कार्य के लिए एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का राष्ट्रपति वेंकटरमन का सुझाव समय बचाने और लंबे संबोधनों से जुड़ी थकान से बचने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में उभरता है।

• प्रस्तावित पुनर्व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पता केवल मसौदा तैयार करने वाले (सरकार) या पाठक (राष्ट्रपति या राज्यपाल) के लिए जिम्मेदार होने के बजाय विधायकों के सामूहिक निकाय का है।

• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिससे राष्ट्रपति वेंकटरमन का सुझाव उभरते राजनीतिक परिदृश्य में विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है।

• धन्यवाद प्रस्ताव, जो आम तौर पर संबोधन के बाद आता है, का उपयोग सरकारी उपलब्धियों और योजनाओं को प्रदर्शित करने, विस्तृत चर्चा के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

• सुधार के लिए एक नवोन्मेषी और आत्म-त्याग करने वाले मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो पहल करे और बदलाव का नेतृत्व करे, जो परंपरा को संभावित अपमान से बचाने और इसे समकालीन राजनीतिक गतिशीलता के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर दे।

प्रदर्शनकारी किसान चाहते हैं एमएसपी कानून: ऐसी गारंटी कैसे काम करेगी?

• **परिचय:**
• पंजाब से दिल्ली तक 200 से अधिक किसान यूनियनों के आगामी मार्च के कारण दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है।
• 'दिल्ली चलो' मार्च की केंद्रीय मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की स्थापना है।
• **क्रेता बाज़ार में किसान:**
• किसान खुद को एक चुनौतीपूर्ण खरीदार के बाजार में पाते हैं जहां थोक फसल के परिणामस्वरूप अचानक आपूर्ति बढ़ जाती है।
• यह स्थिति किसानों को मूल्य निर्धारणकर्ता के रूप में छोड़ देती है और उनमें कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता का अभाव हो जाता है।
• **मूल्य बनाम आय समर्थन:**
• अर्थशास्त्री निश्चित एमएसपी का विरोध व्यक्त करते हैं और इसके बजाय आय सहायता योजनाओं की वकालत करते हैं।
• पीएम-किसान सम्मान निधि और रायथु बंधु जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएं कम बाजार-विकृत करने वाली और अधिक समावेशी मानी जाती हैं।
• **वास्तविक उत्पादक किसानों की दुविधा:**
• आय सहायता योजनाओं में सभी किसानों के साथ समान व्यवहार करने और संभावित रूप से अधिक संसाधनों और प्रयास का निवेश करने वालों की उपेक्षा को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।
• जिन किसानों की प्राथमिक आजीविका कृषि है, उनके पास मूल्य आश्वासन मांगने के उचित कारण हो सकते हैं।

• **एमएसपी की गारंटी:**
• एमएसपी लागू करने के पारंपरिक तरीकों में खरीदारों को भुगतान करने के लिए मजबूर करना या सरकारी एजेंसियों से संपूर्ण विपणन योग्य उपज खरीदना शामिल है।
• एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मूल्य कमी भुगतान (पीडीपी) है, जो किसानों को बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर के लिए मुआवजा देता है।
• **राज्य की पहल:**
• मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना और हरियाणा की भावांतर भरपाई योजना पीडीपी लागू करने के प्रयासों के उदाहरण हैं।
• इन पहलों के सामने आने वाली चुनौतियों में केंद्रीय समर्थन की कमी और भुगतान तंत्र में विविधताएं शामिल हैं।
• **हरियाणा का दृष्टिकोण:**
• हरियाणा की भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) में एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर के आधार पर भौतिक खरीद और पीडीपी दोनों शामिल हैं।
• पीडीपी तंत्र में औसत उपज के लिए सीमा और विचार के साथ निश्चित दरें शामिल हैं, जिसका लक्ष्य किसानों को प्रभावी ढंग से समर्थन देना है।
• **व्यवहार्यता और आगे की राह:**
• मध्य प्रदेश और हरियाणा पारंपरिक फसलों से परे एमएसपी देने की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण के रूप में काम करते हैं।
• इन राज्यों की सफलता का श्रेय एपीएमसी मंडी बुनियादी ढांचे और लेनदेन रिकॉर्डिंग प्रणालियों को दिया जा सकता है।
• केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक राष्ट्रव्यापी पीडीपी योजना अन्य राज्यों को समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
• **निष्कर्ष:**
• एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग बाजार की गतिशीलता, आय समर्थन और वास्तविक उत्पादक किसानों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को संतुलित करने की जटिलताओं को दर्शाती है।
• राज्य की पहल कृषि नीति के लिए व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए संभावित समाधानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

एमएसपी मुद्दा: 2022 में गठित सरकारी समिति ने अब तक क्या किया है?

प्रसंग:

• **किसानों की एमएसपी गारंटी की मांग:** भारत भर के किसान, विशेष रूप से किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) से जुड़े किसान, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी के लिए विरोध कर रहे हैं। यह मांग उनकी उपज के लिए कम और अस्थिर बाजार कीमतों के बारे में उनकी चिंताओं से उत्पन्न होती है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इससे वे शोषण और वित्तीय कठिनाई के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उनका तर्क है कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी उन्हें सुरक्षा जाल प्रदान करेगी और उनके प्रयासों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करेगी।

• **कृषि कानूनों को निरस्त करना:** नवंबर 2021 में, भारत सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया, जिनका किसानों द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया था। कृषि क्षेत्र को उदार बनाने के उद्देश्य से बनाए गए इन कानूनों को कई किसानों ने अपनी आजीविका के लिए हानिकारक और संभावित रूप से बड़े निगमों को नियंत्रण सौंपने के रूप में देखा। हालांकि इसे निरस्त करना किसानों के आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन इसने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की उनकी मूल मांग को संबोधित नहीं किया।

• **एमएसपी पर सरकारी समिति:** चल रहे किसान आंदोलन के जवाब में, सरकार ने एमएसपी को अधिक "प्रभावी और पारदर्शी" बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए जुलाई 2022 में एक समिति का गठन किया। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली इस समिति में विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन विशेष रूप से संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, जो किसान संघों की छत्र संस्था है, जिसने 2020-21 के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। समिति का कार्यक्षेत्र "शून्य बजट" खेती को बढ़ावा देने, फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी की प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करने पर केंद्रित है, लेकिन स्पष्ट रूप से कानूनी गारंटी का उल्लेख नहीं करता है।

पृष्ठभूमि:

• **साल भर चलने वाला किसानों का विरोध**: एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग नई नहीं है। किसान इसके लिए वर्षों से विरोध कर रहे हैं, जिसकी परिणति 2020 में शुरू हुए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन के रूप में हुई। एसकेएम के नेतृत्व में यह विरोध, सरकार द्वारा कानूनों को निरस्त करने पर सहमत होने से पहले एक साल से अधिक समय तक चला। हालाँकि, एमएसपी का मुद्दा अनसुलझा रहा।

• **सरकार का वादा**: किसानों के विरोध को समाप्त करने के लिए बातचीत के दौरान सरकार ने एमएसपी सहित किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया। इस समिति का गठन अंततः जुलाई 2022 में किया गया।

• **समिति का कार्य:** समिति अपने गठन के बाद से नियमित रूप से बैठक कर रही है और कई उप-समूह बैठकों और कार्यशालाओं के साथ-साथ छह मुख्य बैठकें आयोजित कर चुकी है। हालाँकि, इसकी सिफ़ारिशें और प्रगति अस्पष्ट बनी हुई है।

महत्वपूर्ण मुद्दे:

• **समिति के अधिदेश पर असहमति**: विवाद का मुख्य बिंदु समिति का अधिदेश है, जिसमें स्पष्ट रूप से एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी शामिल नहीं है। किसानों का तर्क है कि यह एक बुनियादी मुद्दा है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, जबकि सरकार का कहना है कि समिति का व्यापक दायरा एमएसपी प्रभावशीलता में सुधार के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज करने की अनुमति देता है।

• **समिति की सिफारिशों पर अनिश्चितता**: समिति की सिफारिशों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे किसान और अन्य हितधारक सरकार के संभावित समाधानों के बारे में अंधेरे में हैं। ऐसी अटकलें हैं कि समिति बिना कानूनी गारंटी के एमएसपी में सुधार के लिए वैकल्पिक उपाय प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन ये अपुष्ट हैं।

• **कानूनी गारंटी पर सरकार की स्थिति**: एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने इसे लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्धता नहीं जताई है। ऐसी गारंटी की संभावित आर्थिक और तार्किक चुनौतियों के साथ-साथ व्यापक कृषि बाजार पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं मौजूद हैं।

समग्र आउटलुक:

• **किसानों की निरंतर अशांति**: किसानों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन उनकी मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया के प्रति उनके निरंतर असंतोष को उजागर करता है। यदि समिति की सिफारिशें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे को संबोधित नहीं करती हैं, तो आगे विरोध और आंदोलन की संभावना है।

• **महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय**: किसानों की मांग और समिति की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया कृषि संकट को दूर करने और कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी लागू करने के निर्णय के महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ होंगे, जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने और मौजूदा कृषि प्रणाली में संभावित समायोजन की आवश्यकता होगी।

• **कृषि सुधारों का अनिश्चित** भविष्य: इस स्थिति का परिणाम संभवतः भारत में कृषि सुधारों के भविष्य को आकार देगा। यदि सरकार किसानों की मांगों को प्राथमिकता देती है और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी लागू करती है, तो इसे एक बड़ी रियायत और नीति दिशा में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि, यदि सरकार वैकल्पिक समाधान चुनती है या मांग का विरोध करती है, तो इससे किसानों के साथ संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं और मौजूदा सुधारों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ सकते हैं।

एमएसपी पर 360 डिग्री का दृष्टिकोण

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी):

• परिभाषा और उद्देश्य: एमएसपी एक सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर वह किसानों से कुछ कृषि वस्तुओं को खरीदने की गारंटी देती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करके, अस्थिर बाजार के उतार-चढ़ाव और बिचौलियों द्वारा शोषण से बचाकर एक सुरक्षा जाल प्रदान करना है।

• **एमएसपी के लिए तर्क:**

◦ खाद्य सुरक्षा: एमएसपी किसानों को आवश्यक खाद्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त घरेलू उत्पादन सुनिश्चित होता है।

◦ **आजीविका सुरक्षा**: एमएसपी के माध्यम से गारंटीकृत आय किसानों को एक स्थिर आय स्रोत प्रदान करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करती है।
◦ **बाजार स्थिरता**: एमएसपी प्रचुर मौसम के दौरान कीमतों में भारी गिरावट को रोकता है, किसानों को बाजार में हेरफेर से बचाता है।
◦ **निवेश और उत्पादकता**: स्थिर आय बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई में निवेश को बढ़ावा देती है, जिससे संभावित रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है।

• **एमएसपी के विरुद्ध तर्क:**

◦ **बाजार विकृति**: निश्चित एमएसपी कृत्रिम मूल्य स्तर बना सकता है, जिससे अतिउत्पादन, अकुशल संसाधन आवंटन और सरकार के लिए संभावित भंडारण बोझ बढ़ सकता है।
◦ **राजकोषीय बोझ**: देश भर में सभी फसलों के लिए एमएसपी लागू करने से सरकारी वित्त पर भारी दबाव पड़ सकता है, खासकर उत्पादन बढ़ने से।
◦ **असमानता**: आलोचकों का तर्क है कि एमएसपी मुख्य रूप से बड़े, अधिशेष उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाता है, कम उपजाऊ क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों की उपेक्षा करता है।
◦ **स्थिरता:** धान जैसी जल-गहन फसलों के लिए एमएसपी अस्थिर कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे जल संसाधनों में कमी आ सकती है।

कृषि के लिए सार्वजनिक समर्थन:

• **एमएसपी से परे**: कृषि के लिए सार्वजनिक समर्थन केवल एमएसपी से आगे तक फैला हुआ है और इसमें किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं:
◦ **सब्सिडी**: बीज, उर्वरक और सिंचाई पर इनपुट सब्सिडी उत्पादन लागत को कम कर सकती है और किसानों की लाभप्रदता में सुधार कर सकती है।
◦ **ऋण और ऋण**: किफायती ऋण और ऋण तक पहुंच से किसानों को प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और विस्तार में निवेश करने में मदद मिल सकती है।
◦ **बुनियादी ढांचे का विकास:** सड़कों, भंडारण सुविधाओं और सिंचाई प्रणालियों जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश से बाजार पहुंच में सुधार हो सकता है और फसल के बाद के नुकसान को कम किया जा सकता है।
◦ **विस्तार सेवाएं**: किसानों को कृषि विस्तार सेवाओं, प्रशिक्षण और बाजार की जानकारी तक पहुंच प्रदान करना उन्हें सूचित निर्णय लेने और अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार करने के लिए सशक्त बना सकता है।
◦ **फसल बीमा**: फसल बीमा योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की बर्बादी के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं।

• **चुनौतियाँ और सुधार:**

◦ **लक्ष्यीकरण**: यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक समर्थन सबसे योग्य किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचे, के लिए प्रभावी लक्ष्यीकरण तंत्र की आवश्यकता है।
◦ **दक्षता**: सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करना और रिसाव को कम करना उनके प्रभाव और लागत-प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
◦ **स्थिरता**: प्रोत्साहन और शिक्षा के माध्यम से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना दीर्घकालिक कृषि विकास के लिए आवश्यक है।
◦ **बाजार एकीकरण**: किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुंच और जानकारी की सुविधा से उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार हो सकता है और सरकारी समर्थन पर निर्भरता कम हो सकती है।

संतुलन ढूंढना:

एमएसपी और कृषि के लिए सार्वजनिक समर्थन पर बहस एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है जो किसानों और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों की चिंताओं को संबोधित करती है। इस आवश्यकता है:

• **व्यापक सुधार**: किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करते हुए इसकी सीमाओं को संबोधित करने के लिए वर्तमान एमएसपी प्रणाली में सुधार करना।
• **विविध समर्थन**: सब्सिडी, बुनियादी ढांचे और विस्तार सेवाओं जैसी सहायता के अन्य रूपों को शामिल करने के लिए केवल एमएसपी से परे सार्वजनिक समर्थन का विस्तार करना।
• **लक्षित हस्तक्षेप:** यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक समर्थन सबसे कमजोर किसानों तक पहुंचे और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा मिले।
• **बाजार-उन्मुख समाधान**: कुशल बाजार तंत्र की सुविधा प्रदान करना और बेहतर बाजार पहुंच और जानकारी के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना।
• **खुली बातचीत और आम सहमति**: भारतीय कृषि के लिए स्थायी समाधानों पर आम सहमति बनाने के लिए किसानों, किसान संगठनों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ खुली बातचीत में संलग्न होना।

इन पहलुओं पर ध्यान देकर, भारत कृषि के लिए सार्वजनिक समर्थन की अधिक कुशल और न्यायसंगत प्रणाली की ओर बढ़ सकता है, जिससे किसानों की भलाई, राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रीलिम्स बूस्टर

वैज्ञानिक 'जीवित जीवाश्म' के लिए और अधिक सुरक्षा चाहते हैं

🦀 अमेरिकी घोड़े की नाल केकड़े को चारा और बायोमेडिकल उपयोग के लिए वाणिज्यिक कटाई के साथ-साथ निवास स्थान के नुकसान और जलवायु परिवर्तन से खतरा है।

⛱️ हाल के दशकों में हॉर्सशू केकड़ों की आबादी में गिरावट आई है, डेलावेयर खाड़ी के मुहाने पर 1990 की तुलना में अंडे देने की संख्या दो-तिहाई कम हो गई है।

🩸 फार्मास्युटिकल कंपनियां बड़ी संख्या में हॉर्सशू केकड़ों को उनके नीले रंग के रक्त के लिए काटती हैं, जिसमें एक क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसका उपयोग बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।

🌍 जीवों को समुद्र के किनारे के विकास, ड्रेजिंग, प्रदूषण, तटीय कटाव और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बढ़ते आवास नुकसान का भी सामना करना पड़ता है।

🔬 याचिका में अमेरिकी हॉर्सशू केकड़े के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा और विशेष रूप से अंडे देने के मौसम के दौरान "महत्वपूर्ण निवास स्थान" की सुरक्षा की मांग की गई है।

🦠 विनियम बायोमेडिकल उद्योग को घोड़े की नाल केकड़े के खून का केवल एक हिस्सा निकालने की अनुमति देते हैं, हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान 10-15% कटे हुए जानवर मर जाते हैं।

📉 पिछले तीन वर्षों में बड़े पैमाने पर मौतें देखी गई हैं, 2023 में एनओएए द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति हॉर्सशू केकड़े की समग्र संवेदनशीलता को "बहुत उच्च" स्थान दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया

🕌 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा विरासत और वैश्विक एकता के प्रतीक के रूप में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा निर्मित अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया।

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया, इसके सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व पर जोर दिया।

🤝 श्री मोदी ने भव्य मंदिर को साकार करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया और इसके सांप्रदायिक सद्भाव और वैश्विक एकता का प्रतीक बनने की उम्मीद जताई।

- प्रधान मंत्री मोदी ने मंदिर को वास्तविकता बनाने में उनकी भूमिका के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और इसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक एकीकृत प्रतीक के रूप में देखा।

🙏 मंदिर के उद्घाटन में संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान और सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं ने भाग लिया, और इस आयोजन के महत्व पर जोर दिया।

- इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान और विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं ने भाग लिया, और मंदिर के उद्घाटन के महत्व पर प्रकाश डाला।

🏗️ BAPS मंदिर लगभग ₹700 करोड़ की लागत से दुबई-अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास, अबू मरेखह में 27 एकड़ की साइट पर बनाया गया है।

- मंदिर का निर्माण अल रहबा के पास अबू मरिखाह में 27 एकड़ की जगह पर किया गया है और इसे लगभग ₹700 करोड़ की लागत से बनाया गया है।

🌍 श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह मंदिर संयुक्त अरब अमीरात की पहचान में एक सांस्कृतिक अध्याय जोड़ता है, जो बुर्ज खलीफा और शेख जायद मस्जिद जैसे आधुनिक स्थलों के लिए जाना जाता है।

- प्रधान मंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर संयुक्त अरब अमीरात की सांस्कृतिक पहचान में योगदान देता है, जो अपने आधुनिक वास्तुशिल्प स्थलों के लिए प्रसिद्ध है।

क्या चुनाव आयोग पाक को बासमती के लिए जीआई टैग दिलाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है?

🌾 यूरोपीय आयोग (ईसी) देश को बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त करने में मदद करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, जबकि भारत के बासमती जीआई आवेदन को जुलाई 2018 से रोक दिया गया है।

🇪🇺 EC ने अपना डेटाबेस eAmbrosia सार्वजनिक किया, जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है, जिससे पाकिस्तान के स्टेटस अपडेट के समय और पाकिस्तान अधिकारियों और EC के बीच सक्रिय संचार पर सवाल खड़े हो गए हैं।

🌍 चुनाव आयोग की कार्रवाइयों ने संभावित राजनयिक संकट के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि भारत को ऐतिहासिक प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय विवादों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के आवेदन का विरोध करने की उम्मीद है।

🏷️ बासमती चावल के लिए जीआई टैग को भारत-यूरोपीय संघ व्यापार सौदे के लिए एक परीक्षण मामला और "सच्चाई का क्षण" माना जाता है, ईसी की कार्रवाइयां भारत को वैश्विक बासमती व्यापार में अपने अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं।

आसमान में ऊँचा, एक नई पीढ़ी की आँख

🛩️ बेंगलुरु स्थित नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एनएएल) ने एक नई पीढ़ी के मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) का एक प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक उड़ाया, जो जमीन से लगभग 20 किमी दूर, काफी ऊंचाई पर उड़ सकता है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और अंदर रह सकता है। महीनों तक हवा।

🌞 ऐसे यूएवी उड़ने वाली वस्तुओं के एक वर्ग से संबंधित हैं जिन्हें एचएपीएस, या उच्च-ऊंचाई वाले छद्म-उपग्रह वाहन, या हेल, यानी उच्च-ऊंचाई वाले लंबे समय तक सहन करने वाले वाहन कहा जाता है।

🔍 HAPS वाहनों की प्राथमिक उपयोगिता आपदा प्रबंधन और अन्य स्थितियों में संभावित अनुप्रयोगों के साथ निगरानी और निगरानी के क्षेत्र में है

🌍 एचएपीएस तकनीक अभी भी विकास के अधीन है, कई देशों और कंपनियों ने उत्साहजनक सफलता के साथ ऐसे वाहनों को विकसित और उड़ाया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस तकनीक में महारत हासिल नहीं की है।

🏆 इस श्रेणी के वाहन का विश्व रिकॉर्ड एयरबस निर्मित जेफिर के नाम है, जिसने दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले अगस्त 2022 में 64 दिनों तक लगातार उड़ान भरी थी।

📈 एनएएल ने 2027 तक जिस फुल-स्केल मशीन के निर्माण का लक्ष्य रखा है, उसे पारंपरिक यूएवी और उपग्रहों की सीमाओं को पार करने के लक्ष्य के साथ लगातार 90 दिनों तक हवा में रहने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

🔭 HAPS को जमीन से लगभग 20 किमी की ऊंचाई पर एक क्षेत्र में घूमने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पारंपरिक यूएवी और उपग्रहों की सीमाओं को संबोधित करते हुए, बड़े क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी और उच्च-रिज़ॉल्यूशन अवलोकन प्रदान करता है।

भारत-ईएफटीए समझौते के मसौदे में विशिष्ट अवधि का खंड दवा उद्योग को प्रभावित कर सकता है

- 🌐 भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता: मसौदा समझौते के एक खंड के कारण भारत में सस्ती, जेनेरिक दवाओं तक पहुंच में कम से कम छह साल की देरी हो सकती है। इससे देश में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।
- 💊 खंड विवरण: समझौता न्यूनतम छह साल की अवधि निर्दिष्ट करता है, जिसके दौरान दवा कंपनियां बाजार अनुमोदन के लिए "अघोषित परीक्षण डेटा" पर भरोसा नहीं कर सकती हैं। इससे पेटेंट दवाओं के जेनेरिक संस्करणों की समय पर उपलब्धता में बाधा आ सकती है।
- 🧬 बायोलॉजिक्स दवाओं पर प्रयोज्यता: यह खंड बायोलॉजिक्स दवाओं पर लागू हो सकता है, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वैक्सीन फॉर्मूलेशन शामिल हैं। इससे इन दवाओं में इस्तेमाल होने वाले जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रण के उत्पादन और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।
- 🇮🇳 भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग: भारत में एक संपन्न जेनेरिक दवा उद्योग है, जो 60,000 से अधिक जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है और पेटेंट दवाओं पर एकाधिकार अधिकार बढ़ाने के प्रयासों का विरोध करता है। इस उद्योग का वार्षिक कारोबार ₹3.4 लाख करोड़ है और यह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा है।
- ⚠️ चिंताएं बढ़ीं: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह धारा टीबी के लिए बेडाक्विलिन जैसी आवश्यक दवाओं तक पहुंच में बाधा डाल सकती है, जिससे उपलब्धता सीमित हो सकती है। मेडिसिन सैन्स फ्रंटियर्स जैसे संगठनों ने चिंता व्यक्त की है और संभावित प्रभाव के बारे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है।
- 🤝 बातचीत की वर्तमान स्थिति: ईएफटीए और भारत के बीच हालिया बातचीत प्रगति दिखाती है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की चिंताएं चर्चा का प्रमुख मुद्दा बनी हुई हैं। वार्ता का उद्देश्य भारत में ईएफटीए देशों द्वारा निवेश बढ़ाना और विभिन्न निर्यातों पर शुल्क कम करना है।
- 💡 पेटेंट दवाओं पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य: पेटेंट दवाओं के परिणामस्वरूप अक्सर दुनिया भर में आवश्यक दवाएं महंगी हो जाती हैं, और मूल आविष्कारकों और भारतीय दवा निर्माताओं के बीच संघर्ष में 'डेटा विशिष्टता' की अवधारणा शामिल होती है। इसका वैश्विक स्तर पर दवा की उपलब्धता और सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

डेटा विशिष्टता उस अवधि को संदर्भित करती है जिसके दौरान किसी उत्पाद के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी द्वारा प्रस्तुत डेटा को अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने से संरक्षित किया जाता है। यह सुरक्षा आम तौर पर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए एफडीए जैसी नियामक एजेंसियों को सौंपे गए नैदानिक परीक्षण डेटा पर लागू होती है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org